संख्या- 18/1386 /बयालिस-2018-65(बजट)/2014

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2018**

विषय- जनपद मुजफ्फरनगर में स्पोर्टस स्टेडियम में अवस्थापना विकास कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध में।.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-1113/नि0 मुजफ्फरनगर स्टे0 पत्रा0/2017-18, दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 एवं पत्र संख्या- जी0-376/नि0 मुजफ्फरनगर स्टे0 पत्रा0/2017-18 दिनांक 08 जून, 2018 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मुजफ्फरनगर में स्पोर्टस स्टेडियम में अवस्थापना विकास कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 360/बयालिस-2016-65(बजट)/2014, दिनांक 30.03.2016 द्वारा निर्गत रूपया 139.87 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 95/बयालिस-2017-65(बजट)/ 2014, दिनांक 31.01.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि रू0 15.85 लाख तथा शासनादेश संख्या- 1740/बयालिस-2017-65(बजट)/2014, दिनांक 01.09.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रू0 15.85 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति अर्थात कुल धनराशि रू0 131.70 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये जाने के उपरान्त कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन की ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा आंकलित धनराशि रू0 169.508 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किय जायेगा और धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु इसके पश्चात पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नही की जायेगी।

(4)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी ।

(5)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/ 2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दी गयी व्यवस्था/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- शासनादेश संख्या- 360/बयालिस-2016-65(बजट)/2014**,** दिनांक 30.03.2016**,** शासनादेश संख्या- 95/बयालिस-2017-65(बजट)/2014**,** दिनांक 31.01/2017 एवं शासनादेश संख्या- 1740/बयालिस-2016-65(बजट)/2014**,** दिनांक 01.09.2017 में उल्लिखित अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

(7)**-** प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(8)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशा0 विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9)- प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय- **88-**जनपद मुजफ्फरनगर स्पोर्टस स्टेडियम में अवस्थापना विकास-24-वृहत निर्माण " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5**-1273/**दस-2018, दिनांक 21 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या - 1386 (1)/बयालिस-2018-तददिनांक</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:</u>

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर ।
5- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश ।
6- क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, सहारनपुर/क्रीडाधिकारी, मुजफ्फरनगर ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।